माननीय न्यायमूर्ति ***बी एस वालिया से पहले, जे।***

रामफल-याचिकाएं

बनाम

राम काली और अन्य- *प्रतिवादी*

2015 का सीआर नंबर 4537

अगस्त 28, 2018

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-आदेश VI नियम 17-वाद का संशोधन इस आधार पर कि ***वादी ने अनजाने में स्थायी निषेधाज्ञा की परिणामी राहत के साथ घोषणा के लिए वाद में भूमि के विवरण का उल्लेख करने के लिए छोड़*** दिया- ***ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पर आवेदन खारिज कर दिया कि आवेदन तीन साल बाद देरी का कोई स्पष्टीकरण दिए बिना दायर किया गया और यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि आवेदक मामले को नहीं उठा सकते थे विचारण शुरू होने से पूर्व यथोचित परिश्रम या यह भी कि मांगे गए संशोधन कुछ ऐसा नहीं था जो शुरू से ही उनकी जानकारी*** में नहीं था - ***ट्रायल कोर्ट ने आगे दर्ज किया कि आवेदक भूमि के अतिरिक्त टुकड़े के संबंध में दावा सम्मिलित करना चाहते थे जिसे किसी भी तरह से टंकण त्रुटि के रूप में नहीं देखा जा सकता था और यह वाद की प्रकृति को बदल देगा-याचिका को इस आधार पर अनुमति दी गई कि संशोधन से विवाद में वास्तविक प्रश्न का निर्धारण होगा -*** याचिका को ***25,000/- रुपये की लागत के साथ अनुमति दी*** गई।

यह निर्णीत किया गिया है है कि यद्यपि याचिकाकर्ता यह रुख नहीं उठा सकता है कि उसे उस स्थिति के बारे में पता नहीं था जिसे संशोधन के माध्यम से शामिल करने की मांग की गई है और न ही यह कहा जा सकता है कि उचित परिश्रम का प्रयोग किया गया है, लेकिन प्रार्थना को संशोधन करने के लिए दिए गए तर्क के संदर्भ में देखा जाना चाहिए अर्थात उनका अनजाने में चूक होना ..... हालांकि याचिकाकर्ता मेहनती नहीं था, लेकिन यह तय कानून है कि असावधानी, गलती और लापरवाही के कारण संशोधन से इनकार नहीं किया जा सकता है, खासकर जहां मांग किए गए संशोधन का विवाद में वास्तविक प्रश्न का निर्धारण करने का प्रभाव होगा और ऐसी परिस्थितियों में, संशोधन की मांग करने वाली पार्टी को लागत के रूप में सख्त शर्तों पर रखा जा सकता है। इन परिस्थितियों में, मेरा विचार है कि अब्दुल *रहमान और अन्य बनाम मोहम्मद अली खान और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में प्रार्थना किए गए संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए थी। रुल्डू और अन्य, 2012 (11) एससीसी 341*।

(12 में कार्य करता है)

याचिकाकर्ता के वकील नरेंद्र पाल भारद्वाज।

अभिनव सूद, अधिवक्ता, उत्तरदाताओं के लिए।

बीएस वालिया, जे (मौखिक)

(1) विद्वान सिविल जज (जूनियर डिवीजन), सोनीपत द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.07.2015 (अनुलग्नक पी 5) को चुनौती देते हुए वाद के संशोधन के लिए दिनांक 05.09.2013 (अनुबंध पी 3) के आवेदन को खारिज करते हुए पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है।

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता और प्रोफार्मा प्रतिवादी संख्या 2 से 10 ने प्रतिवादी नंबर 1- प्रतिवादी के खिलाफ एक सिविल मुकदमा दायर किया था, जिसमें इस कथन पर स्थायी निषेधाज्ञा की परिणामी राहत के साथ घोषणा की गई थी कि स्वर्गीय कनिह्या यानी प्रोफार्मा प्रतिवादी नंबर 2 के दादा के तीन बेटे थे, जिनके नाम फतेह सिंह, शिव राज और रामफल (यानी यहां याचिकाकर्ता) थे, जिनमें से शिव राज अपनी विधवा श्रीमती रामकली यानी (प्रतिवादी नंबर 1-प्रतिवादी) को छोड़कर निर्विवाद रूप से मर गया। वाद में आगे यह कहा गया था कि याचिकाकर्ता और प्रोफार्मा प्रतिवादी संख्या 2 से 10 खेवट संख्या 357/360, खतौनी संख्या 659 से 660 रेक्टर और किला संख्या 45//23/2 (4-0), 18/1 (2-4), 23/1 (4-0) कुल 10 कनाल 04 मरला और खेवट संख्या 359/352 खाता संख्या 662 में शामिल कृषि भूमि के मालिक थे। और किला संख्या 42//13 (6-19), 14/1/1 (2-0), 14/1/2 (2-0) कुल 10 कनाल 19 मरला जैसा कि राजस्व रिकॉर्ड में उल्लेख किया गया है और आगे कि प्रोफार्मा प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5, और 6 के पिता और प्रोफार्मा प्रतिवादी संख्या 7 से 10 के दादा और प्रोफार्मा प्रतिवादी नंबर 3 के ससुर और वादी नंबर 10 श्रीमती किताबो, फतेह सिंह की विधवा और वादी नंबर 11 यानी याचिकाकर्ता और स्वर्गीय श्री शिव राज के कब्जे में मालिक हैं वर्ष 2004-05 के जमाबंदी के अनुसार गांव मलिकपुर, तहसील और जिला सोनीपत की राजस्व संपत्ति में स्थित प्रत्येक के बराबर हिस्से में ऊपर वर्णित कृषि भूमि अर्थात 1/3 हिस्सा है। वाद में यह भी उल्लेख किया गया था कि स्वर्गीय श्री शिव राज, जिनकी निःसंतान मृत्यु हो गई, अपने असली भतीजे यानी प्रोफार्मा प्रतिवादी नंबर 2 और याचिकाकर्ता (यानी वादी नंबर 11) के साथ रहते थे और वे संयुक्त रूप से रहते थे और स्वर्गीय श्री शिव राज की मृत्यु तक उनकी देखभाल करते थे और प्यार और स्नेह के कारण स्वर्गीय श्री शिव राज ने याचिकाकर्ता (वादी नंबर 11) और प्रोफार्मा प्रतिवादी नंबर 2 से 10 यानी (वादी (ख) सिविल वाद में प्रतिवादी संख्या 1 से 10) के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 1- प्रतिवादी श्रीमती रामकली, उसकी विधवा, 14.02.2004 को बराबर हिस्से में और 22.06.2009 को मृत्यु हो गई। वाद में आगे उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादी नंबर 1- प्रतिवादी श्रीमती रामकली ने कुछ शरारती तत्वों के साथ-साथ राजस्व अधिकारियों के साथ मिलीभगत से स्वर्गीय श्री शिव राज के पूरे हिस्से के पक्ष में दिनांक 22.06.2009 को एक म्यूटेशन नंबर 3308 को मंजूरी दी और यह गलत, अवैध, शून्य और शून्य था और प्रतिवादी नंबर 1- प्रतिवादी के रूप में अलग रखा जाना चाहिए स्वर्गीय श्री शिव राज द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का हिस्सा। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 2 से 10 तक प्रतिवादी नंबर 1-प्रतिवादी श्रीमती रामकली से उनके पक्ष में स्वीकृत गलत और अवैध म्यूटेशन के आधार पर अपने हिस्से से अधिक सूट संपत्ति को हस्तांतरित नहीं करने के लिए याचिकाकर्ता और प्रोफार्मा प्रतिवादी नंबर 2 से 10 ने इस प्रार्थना के साथ एक सिविल मुकदमा दायर किया कि डिक्री इस घोषणा के लिए पारित की जाए कि वादी भूमि के कब्जे में मालिक थे, जैसा कि विस्तृत है वाद के पैरा नंबर 1 में उनके संबंधित शेयरों यानी स्वर्गीय श्री शिव राज की संपत्ति पर प्रत्येक का 1/12 वां हिस्सा और वह म्यूटेशन असर नंबर 3308 दिनांक 22.06.2009 गलत, अवैध, शून्य और शून्य था और याचिकाकर्ता और प्रोफार्मा प्रतिवादी नंबर 2 से 10 के अधिकारों पर बाध्यकारी नहीं था।

(3) सिविल वाद 04-03-2010 को दायर किया गया था। 05.09.2013 को, वादी के साक्ष्य

के लिए मामला तय किया गया था, जिस तारीख को सीपीसी के आदेश 6 नियम 17 के तहत इस आधार पर वाद में संशोधन की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया गया था कि अनजाने में वाद के पैराग्राफ नंबर 1 में भूमि के विवरण का उल्लेख करने में चूक हुई थी। किए जाने वाले संशोधन का ब्यौरा निम्नानुसार है -

> गांव मलिकपुर (सोनीपत) की राजस्व संपदा में खेवट संख्या 361/354 खाता संख्या 664, 665 आयत एवं किला क्रमांक 42/12 (8-0) और 42/19 (8-0) में शामिल भूमि में 53 अंशों में से शिव राज पुत्र कन्हैया का आधा हिस्सा है।

(4) प्रार्थना उस संशोधन को करने की अनुमति के लिए है जो टाइपोग्राफिकल चूक के कारण हुआ था।

(5) आवेदन का इस आधार पर विरोध किया गया था कि आवेदकों/वादियों (यहां याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 2 से 10) द्वारा कई अवसरों का लाभ उठाया गया था, लेकिन उन्होंने अपने साक्ष्य का नेतृत्व नहीं किया और आवेदन केवल मामले को लंबा करने के लिए दायर किया गया था, कि संशोधन केवल मुकदमे के शुरू होने से पहले किया जा सकता है, लेकिन तत्काल मामले में, उपरोक्त चरण पहले ही बीत चुका था। आवेदन को विद्वान सिविल जज (जूनियर डिवीजन), सोनीपत द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि आवेदन देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण प्रदान किए बिना वाद की संस्था के तीन साल से अधिक समय बाद दायर किया गया था और न तो यह दलील दी गई थी और न ही यह परिस्थितियों से एकत्र किया जा सकता था कि आवेदक मुकदमे के शुरू होने से पहले उचित परिश्रम के बावजूद मामले को नहीं उठा सके या यहां तक कि मांग किए गए संशोधन भी नहीं थे कुछ ऐसा जो शुरू से ही आवेदकों (यानी याचिकाकर्ता और प्रोफार्मा उत्तरदाताओं नंबर 2 से 10) के ज्ञान में नहीं था। विद्वान सिविल न्यायाधीश ने आगे दर्ज किया कि आवेदक (यानी याचिकाकर्ता और प्रोफार्मा प्रतिवादी संख्या 2 से 10) आवेदन के माध्यम से भूमि के अतिरिक्त टुकड़े के बारे में दावा सम्मिलित करना चाहते थे जिसे किसी भी तरह से टंकण त्रुटि नहीं माना जा सकता है और यह वाद की प्रकृति को बदल देगा। तदनुसार, आवेदन खारिज कर दिया गया था।

(6) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि यह स्थापित कानून था कि प्रक्रिया के नियमों का उद्देश्य न्याय प्रशासन में एक नौकरानी होना था और किसी पक्ष को केवल गलती, लापरवाही, असावधानी या यहां तक कि प्रक्रिया के नियमों के उल्लंघन के कारण संशोधन की अनुमति से इनकार नहीं किया जा सकता था और संशोधन की अनुमति तब तक दी जा सकती है जब तक कि विरोधी पक्ष द्वारा यह स्थापित नहीं किया जा सकता कि संशोधन के लिए आवेदन करने वाला पक्ष क्या यह दुर्भावनापूर्ण कार्य कर रहा था या कि उसकी गलती से, संशोधन की मांग करने वाले पक्ष ने विपरीत पक्ष को चोट पहुंचाई थी, जिसकी भरपाई लागत के आदेश द्वारा नहीं की जा सकती थी।

(7) विद्वान वकील ने तर्क दिया कि वाद के अवलोकन से याचिकाकर्ता और प्रोफार्मा प्रतिवादी संख्या 2 से 10 के रुख का संदेह से परे पता चलता है कि वे पैराग्राफ नंबर 1 में विस्तृत कृषि भूमि के कब्जे वाले मालिक थे, समान हिस्से में यानी फतेह सिंह, स्वर्गीय श्री शिव राज और याचिकाकर्ता/वादी नंबर 11 का 1/3 हिस्सा जबकि पैराग्राफ नंबर 2 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि स्वर्गीय श्री शिव राज के पास था प्रोफार्मा प्रतिवादी नंबर 2 और याचिकाकर्ता/वादी नंबर 11 द्वारा ध्यान रखा गया था और कहा गया था कि स्वर्गीय श्री शिव राज ने याचिकाकर्ता/वादी और प्रोफार्मा प्रतिवादी नंबर 2 से 10 के पक्ष में एक वसीयत निष्पादित

की थी और प्रतिवादी नंबर 1-प्रतिवादी को 14.02.2004 को समान हिस्से में निष्पादित किया था और 22.062009 को उसकी मृत्यु हो गई थी और आगे वाद के पैराग्राफ नंबर 3 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि प्रतिवादी नंबर 1-प्रतिवादी के अधिकार के बावजूद केवल 1/12 की सीमा तक अपने पति स्वर्गीय श्री शिव राज द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का हिस्सा कुछ शरारती तत्वों के साथ मिलीभगत में था और राजस्व अधिकारियों ने स्वर्गीय श्री शिव राज के पूरे हिस्से का दिनांक 22.06.2009 को नंबर 3308 को उनके पक्ष में स्वीकृत किया था। उपरोक्त पृष्ठभूमि में यह तर्क दिया गया है कि एक बार यह वादी (यानी याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 2 से 10) का रुख है कि एक वसीयत स्वर्गीय श्री शिव राज द्वारा वादी और प्रतिवादी नंबर 1-प्रतिवादी के पक्ष में समान हिस्से में निष्पादित की गई थी और आगे प्रतिवादी नंबर 1-प्रतिवादी श्रीमती रामकली केवल 1/12वें के हकदार थे स्वर्गीय श्री शिव राज द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का हिस्सा, लेकिन उसने स्वर्गीय शिव राज के पूरे हिस्से के अपने पक्ष में दिनांक 22.06.2009 को कपाट संख्या 3308 को कपटपूर्ण रूप से निष्पादित कर दिया था, जो अवैध, शून्य और शून्य था और रद्द करने योग्य था, प्रार्थना की गई संशोधन की अनुमति दी जानी थी।

(8) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि चूक प्रतिवादी नंबर 1-प्रतिवादी श्रीमती रामकली के पति स्वर्गीय श्री शिव राज के स्वामित्व वाली संपत्ति का उल्लेख करना था, यानी गांव मलिकपुर के राजस्व एस्टेट में स्थित खेवट नंबर 361/354 खाता नंबर 664, 665 रेक्ट और किला नंबर 42/12 (8-0) और 42/19 (8-0) में शामिल 53 शेयरों में आधा हिस्सा, सोनीपत जिसे अनजाने में वाद में उल्लेख किए जाने से हटा दिया गया था। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि वर्ष 2004-05 के लिए जमाबंदी के अनुसार उपरोक्त खेवत, खाता और किल्ला संख्या के संबंध में, स्वर्गीय श्री शिव राज और याचिकाकर्ता (यानी वादी नंबर 11) का हिस्सा बराबर शेयरों में है। दूसरे शब्दों में, याचिकाकर्ता के नाम पर 261/2 शेयर और मृतक शिव राज के नाम पर 261/2 शेयर और उपरोक्त भूमि में शिव राज का आधा हिस्सा 14.02.2004 की वसीयत में नामित लाभार्थियों के बीच बराबर हिस्से में साझा किया जाना था। दूसरे शब्दों में, खेवट नंबर 361/354, खाता नंबर 664, 665, रेक्ट और किला नंबर 42/12 (8-0) और 42/19 (8-0) में गांव मलिकपुर, सोनीपत की राजस्व संपत्ति में स्थित भूमि में शिव राज का आधा हिस्सा वाद के पैराग्राफ नंबर 2 और 3 में दिए गए कथन के अनुसार 11 वादी और प्रतिवादी नंबर 1-प्रतिवादी के बीच 1/12 वें हिस्से के अनुपात में साझा किया जाना था। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि परिस्थितियों में, संशोधन केवल उस स्थिति की व्याख्यात्मक था जैसा कि पहले ही वाद में निर्धारित किया गया था और वाद में उपरोक्त भूमि का उल्लेख करने में अनजाने में टंकण चूक के कारण आवश्यक था। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि परिस्थितियों में, यह कल्पना के किसी भी खिंचाव से नहीं कहा जा सकता है कि यह सूट की प्रकृति को बदल देगा। उसी के आधार पर, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश कानूनी रूप से अस्थिर था।

(9) इसके विपरीत, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने उस तर्क को दोहराया जिसके आधार पर संशोधन के लिए आवेदन को विद्वान सिविल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

(10) मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों की दलीलों पर विचार किया है।

(11) बेशक, यह वादी का रुख है कि वादी नंबर 11 (यानी याचिकाकर्ता) और फतेह सिंह और शिव राज (यानी प्रोफार्मा प्रतिवादी नंबर 2 से 10) के एलआर वाद के पैराग्राफ नंबर 1 में विस्तृत संपत्ति के हकदार

हैं। यही बात गांव मलिकपुर, तहसील और जिला सोनीपत में दो अलग-अलग खेवतों में स्थित संपत्तियों का संदर्भ देती है।

(12) वाद के पैराग्राफ नंबर 1 में दावा यह है कि उपरोक्त संपत्ति को तीन शेयरों में विभाजित किया जाना था यानी फतेह सिंह, शिव राज और राम फल के नाम पर यानी 1/3वां हिस्सा और आगे प्रोफार्मा प्रतिवादी नंबर 2, 4, 5 और 6 और प्रोफार्मा प्रतिवादी नंबर 7 से 10 के दादा यानी फतेह सिंह और फतेह सिंह (यानी प्रोफार्मा प्रतिवादी नंबर 3 के ससुर और वादी नंबर 10 के पति) और याचिकाकर्ता (यानी प्रतिवादी नंबर 10 के पति) और याचिकाकर्ता (यानी प्रतिवादी नंबर 10 के ससुर) और याचिकाकर्ता (यानी प्रतिवादी नंबर 10 के ससुर) और याचिकाकर्ता (यानी प्रतिवादी नंबर 10 के पति) और याचिकाकर्ता (यानी प्रतिवादी नंबर 2, 4, 5 और 6) के दादा। वादी संख्या 11) और स्वर्गीय श्री शिव राज उपरोक्त संपत्ति में प्रत्येक के 1/3 हिस्से के मालिक थे। इसके अलावा कि शिव राज द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर, जिसकी निर्विवाद मृत्यु हो गई, वादी और प्रतिवादी नंबर 1-प्रतिवादी को समान रूप से साझा करना था अर्थात स्वर्गीय श्री शिव राज द्वारा छोड़ी गई संपत्ति में 1/12वां हिस्से के अनुपात में। हालांकि, वाद के पैराग्राफ नंबर 3 में यह उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादी नंबर 1-प्रतिवादी श्रीमती रामकली ने स्वर्गीय श्री शिव राज के पूरे हिस्से के पक्ष में 22.06.2009 को एक म्यूटेशन नंबर 3308 को मंजूरी दी और यह अवैध, शून्य और शून्य था और इसे अलग रखा जाना चाहिए और वादी के अधिकारों पर बाध्यकारी नहीं था क्योंकि प्रतिवादी नंबर 1-प्रतिवादी केवल संपत्ति के आधे हिस्से की सीमा तक हकदार था स्वर्गीय शिव राज द्वारा छोड़ी गई, फिर भी तीसरे खेवट यानी खेवट नंबर 361/354 खाता नंबर 664, 665, रेक्ट और किला नंबर 42/12 (8-0) और 42/19 (8-0) गांव मलिकपुर, सोनीपत की राजस्व संपत्ति में स्थित भूमि को अनजाने में वाद में उल्लेख करने से हटा दिया गया था। जैसा कि ऊपर विस्तृत है, संशोधन करके यह एक चूक है जिसे शामिल करने का प्रयास किया गया है।

(13) मेरा विचार है कि यद्यपि याचिकाकर्ता यह रुख नहीं ले सकता है कि उसे उस स्थिति के बारे में पता नहीं था जिसे संशोधन के माध्यम से शामिल करने की मांग की गई है और न ही यह कहा जा सकता है कि उचित परिश्रम का अभ्यास किया गया है, लेकिन प्रार्थना को संशोधन करने के लिए दिए गए तर्क के संदर्भ में देखा जाना चाहिए अर्थात तीसरे पार्सल का उल्लेख करने के लिए उनकी अनजाने में चूक है भूमि के संबंध में जिसका संदर्भ वाद के पैराग्राफ संख्या 2 और 3 में पहले ही किया जा चुका है, जहां यह भी उल्लेख किया गया है कि वादी और प्रतिवादी नंबर 1-प्रतिवादी मृतक शिव राज की संपत्ति में प्रत्येक 1/12 वें हिस्से के हकदार हैं। शेष भूमि के तीसरे पार्सल का उल्लेख करने के लिए जो संशोधन किया जाना है, वह वही है जिसके संबंध में 22.06.2009 को म्यूटेशन नंबर 3308 दिनांक 22.06.2009 को प्रतिवादी नंबर 1-प्रतिवादी रामकली के पक्ष में बनाया गया था। हालांकि, याचिकाकर्ता मेहनती नहीं था, लेकिन यह तय कानून है कि असावधानी, गलती और लापरवाही के कारण संशोधन से इनकार नहीं किया जा सकता है, खासकर जहां मांग किए गए संशोधन का विवाद में वास्तविक प्रश्न का निर्धारण करने का प्रभाव होगा और ऐसी परिस्थितियों में, संशोधन की मांग करने वाली पार्टी को लागत के रूप में सख्त शर्तों पर रखा जा सकता है। इन परिस्थितियों में, मेरा विचार है कि अब्दुल ***रहमान और*** अन्य *बनाम* मोहम्मद अली खान और अन्य बनाम ***मोहम्मद अली*** खान मामले में

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में प्रार्थना किए गए संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए थी। ***रुल्डू और अन्य***[1]। अब्दुल रहमान के मामले (सुप्रा) का प्रासंगिक उद्धरण निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

> "15. हम दोहराते हैं कि सभी संशोधन जो पक्षों के बीच विवाद में वास्तविक प्रश्नों को निर्धारित करने के उद्देश्य से आवश्यक हैं, उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए यदि यह वाद की मूल प्रकृति को नहीं बदलता है। दावा की गई राहत की प्रकृति में बदलाव को वाद की प्रकृति में बदलाव के रूप में नहीं माना जाएगा और संशोधन की शक्ति का प्रयोग पक्षों के बीच पूर्ण और पूर्ण न्याय करने के बड़े हितों में किया जाना चाहिए।

(14) तदनुसार, विद्वान सिविल जज (जूनियर डिवीजन), सोनीपत द्वारा पारित आक्षेपित आदेश 07.07.2015 (अनुलग्नक पी 5) ने वाद के संशोधन के लिए दिनांक 05.09.2013 (अनुबंध पी 3) के आवेदन को खारिज कर दिया और वाद के संशोधन के लिए प्रार्थना को टी 25,000/- की लागत के भुगतान के अधीन अनुमति दी जाती है।

(15) तदनुसार, पुनरीक्षण याचिका को उपरोक्त शर्तों में अनुमति दी जाती है। पक्षकारों को कानून के अनुसार आगे की कार्यवाही के लिए 01.10.2018 को विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना होगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय केवल वादकर्ता के सीमित उपयोग के लिए है ताकि व ह इसेअपनी भाषा में समझ सके और इसका उपयोग किसी अन्य उद्दे श्य के लिए नहींकिया जा सकता है। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी न्यायिक और प्रशासनिकउद्देश्यों के लिए मान्य होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिएउपयुक्त रहेगा।

हिमानी सागर

---

[1] 2012 (11) एससीसी 341

प्रशिक्षित न्याय अधिकारी, हरियाणा